



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2791/2026

सोनू उर्फ निखिल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

:

अनिल कुमार मिश्रा

प्रतिवादी अधिवक्ता

:

जी.ए.,

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य के विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 506/2025, धारा 126(2), 352, 115(2), 103(1), 61(2), 3(5) बीएनएस, पुलिस स्टेशन सरधना, जिला मेरठ के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. अभियोजन पक्ष के कहानी के अनुसार, आवेदक ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर 1.8.2025 को रात करीब 9.00 बजे सूचना देने वाले के दो बेटों को रोका, जिसके बाद सह-आरोपी विकास उर्फ टिल्लर ने सूचना देने वाले के बेटे को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि इस घटना को मोहसिन नाम के एक व्यक्ति और दूसरे लोगों ने देखा था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में लगभग तीन घंटे की देरी हुई है और इस देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है।

6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि सूचना देने वाला बेशक चश्मदीद गवाह नहीं है। चश्मदीद गवाह मोहसिन है। आवेदक को मृतक को गोली मारने का रोल नहीं दिया गया है। मृतक के सिर पर सिर्फ एक गोली लगी है। आवेदक का इस जुर्म से कोई लेना-देना नहीं है। वह बस वहाँ खड़ा था। सह-आरोपी विकास उर्फ टिल्लर का रोल आवेदक से अलग है।

7. आवेदक को पांच मामले सौंपे गए हैं, जिनकी आपराधिक इतिहास बताई गई है। एक मामला उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत है, जिसमें उसने अभी तक जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है। आवेदक 7.8.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

8. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया है लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर कोई बहस नहीं हो सकी।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को मृतक को गोली मारने का रोल नहीं दिया गया है और उसकी भूमिका सह-आरोपी विकास उर्फ टिल्लर से अलग है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पहली नज़र में न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत अर्जी **मंज़ूर** की जाती है।

10. आवेदक- **सोनु उर्फ निखिल** जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

11. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

28 जनवरी, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।